भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश,
भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स,
नर्मदापुरम रोड, भोपाल—462011
Phone: 0755-2554821 & 2764037
Fax: 0755-2557452
E-mail: srdagaebhopal@cag.gov.in

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS
DEPARTMENT,
Office of the Accountant General
(A & E) Madhya Pradesh,
Bhopal Branch, 53, Arera Hills,
Narmadapuram Road, Bhopal-462011
Phone: 0755-2554821 & 2764037
Fax: 0755-2557452
E-mail: srdagaebhopal@cag.gov.in

क्रमांक: WM-I/Grade-I/AT-2026/57 **दिनांक:** 22.07.2026

कार्यालय आदेश

विषय: वर्ष 2026 की वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया हेतु रिक्त संभागों (List of Vacant Divisions) में आंशिक संशोधन एवं संशोधित विकल्प (Revised Option) आमंत्रित किए जाने के संबंध में।

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक **WM-I/Grade-I/AT-2026/D-226** दिनांक **04.06.2026** द्वारा वर्ष 2026 की वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत **List of Vacant Divisions** जारी करते हुए पात्र संभागीय लेखापाल संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों से स्थानांतरण हेतु विकल्प (Option Form) आमंत्रित किए गए थे।

उक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित रिक्त संभाग को **List of Vacant Divisions** में सम्मिलित किया जाता है—

1. PHE Division, Raisen (PH-504) – Heavy Category Division

अतः डी.ए. संवर्ग के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जिनका नाम वर्ष 2026 की वार्षिक स्थानांतरण सूची में सम्मिलित है तथा उपर्युक्त संभाग के रिक्त संभागों की सूची में सम्मिलित होने के फलस्वरूप अपने द्वारा पूर्व में प्रस्तुत विकल्प (Option) में संशोधन करना चाहते हैं, वे अपना **संशोधित विकल्प प्रपत्र (Revised Option Form)** इस कार्यालय को **23.07.2026 को सायं 06:00 बजे तक** कार्यालय की आधिकारिक ई-मेल आई.डी. **srdagaebhopal@cag.gov.in** एवं **sharmal@cag.gov.in**, दोनों पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

निर्धारित समय-सीमा के उपरांत प्राप्त संशोधित विकल्प पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

साथ ही, यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी उपर्युक्त कार्यालय आदेश के जारी होने के उपरांत भी अपना संशोधित विकल्प प्रस्तुत नहीं करना चाहता है, तो वह इस आशय का पुष्टि-पत्र (Confirmation Letter) प्रस्तुत कर सकता है कि:

"मैं, संभागीय लेखापाल संवर्ग अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पद, पदस्थापना संभाग, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश, भोपाल के कार्यालय आदेश क्रमांक WM-I/Grade-I/AT-2026/का.आ.-57 दिनांक 22.07.2026 द्वारा जारी निर्देशों के उपरांत वर्ष 2026 की वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया हेतु अपना संशोधित विकल्प प्रस्तुत नहीं करना चाहता/चाहती हूँ। अतः मेरे द्वारा पूर्व में प्रस्तुत विकल्प को ही अंतिम (Final) विकल्प मानते हुए आगामी कार्यवाही की जाए।"

यह पत्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) म.प्र. द्वारा अनुमोदित है।

उप महालेखाकार
(निर्माण लेखा)

प्रति,

मध्य प्रदेश के विभिन्न निर्माण संभागों (PWD, WRD, PHE), एन.वी.डी.ए. संभागों (NVDA Divisions) एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों (RES Divisions) में पदस्थ वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी / संभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I / संभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-II / संभागीय लेखापाल, जिनका नाम वर्ष 2026 की वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया में सम्मिलित है।